BCCI BULLETIN

Vol. 55 | October 2024 | No. 10

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने श्री बालाजी नेत्रालय के सहयोग से 25 लोगों के मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन कराया

मोतियाबिन्द ऑपरेशन शिविर का फीता काटकर शुभारम्भ करते श्री गंगा प्रसाद जी, पूर्व राज्यपाल सिक्किम एवं मेघालय। उनकी बाँयीं ओर मुख्य अतिथि श्री राम कृपाल यादव, पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री, श्री सुभाष कुमार पटवारी, चैम्बर अध्यक्ष, श्री प्रदीप चौरसिया, उपाध्यक्ष एवं श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, महामंत्री। दाँयीं ओर डा० शशि मोहनका, निदेशक श्री बालाजी नेत्रालय एवं श्री आशीष शंकर, चैम्बर उपाध्यक्ष तथा कार्यकारिणी सदस्य श्री अजय गुप्ता।

मोतियाबिन्द का ऑपरेशन कराये मरीजों के साथ श्री गंगा प्रसाद जी, पूर्व राज्यपाल सिक्किम एवं मेघालय, श्री राम कृपाल यादव, पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री, डा० शशि मोहनका, निदेशक श्री बालाजी नेत्रालय, चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कार्यकारिणी सदस्य श्री अजय गुप्ता एवं अन्य।

मोतियाबिन्द ऑपरेशन कराये मरीजों का कुशलक्षेम पूछते श्री गंगा प्रसाद जी, पूर्व राज्यपाल सिक्किम एवं मेघालय, श्री राम कृपाल यादव, पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री। साथ में डा० शशि मोहनका, चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, महामंत्री श्री पशुपतिनाथ पाण्डेय, पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री अजय गुप्ता।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा श्री बालाजी नेत्रालय, बहादुरपुर, पटना में 27 अक्टूबर 2024 को निःशुल्क मोतियाबिन्द ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उदघाटन सिक्किम एवं मेघालय के पूर्व राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद जी ने रीबन काटकर किया तथा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री राम कृपाल यादव थे। उन्होंने चैम्बर द्वारा किये जा रहे इस सामाजिक कल्याण के कार्यों कि प्रशंसा करते हुए कहा कि पूर्व में भी चैम्बर ने समय-समय पर राज्य में आयी आपदाओं के समय लोंगों के मदद के लिए में आगे बढ़-चढ़ कर अपनी भागीदारी निभायी है।

इस अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी ने बताया कि चैम्बर न केवल व्यावसायिक हित के कार्यों में बढ़-चढ़ कर भाग लेता रहा है बल्कि

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

बिहार सरकार अपने भविष्य के निवेशकों के लिए जमीन उपलब्ध कराने के लिए लैंड बैंक बना रहा है। वर्त्तमान में निवेशकों के योग्य बिहार में लैंड बैंक में करीब 1500 एकड़ जमीन रह गयी हैं। सरकार का लैंड पूलिंग भी हो सकता है भविष्य का प्लान। गुजरात में लैंड पूलिंग कर जमीन जुटाने में सफल प्रयोग किया है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में लैंड पूलिंग पॉलिसी बनाई है। **लैंड पूलिंग की योजना बिहार में भी सफल हो सकती है।**

ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को गति प्रदान करने में ग्रामीण बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। परन्तु पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण बैंकों की स्थिति काफी खराब है। बिहार के उत्तर और दक्षिण ग्रामीण बैंकों की स्थिति भी कमोबेश अच्छी नहीं है। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक जहाँ महज कुछ करोड़ के लाभ में है, तो दक्षिण ग्रामीण बैंक नौ सौ करोड़ से ज्यादा घाटे में है। क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के तहत माननीया केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण नवम्बर के तीसरे सप्ताह में दरभंगा आने वाली हैं। इसमें ग्रामीण बैंकों की एनपीए और कृषि ऋण वितरण की स्थिति पर समीक्षा होगी।

अगस्त 2024 में दिल्ली में ग्रामीण बैंकों के अध्यक्षों की बैठक में केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने क्लस्टर लोनिंग पर विशेष निर्देश दिया था। उन्होंने कृषि और उससे संबंधित उद्यम के साथ–साथ वस्त्र, हस्तशिल्प, चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी फार्मिंग और पैकिंग सामग्री जैसे क्षेत्रों से जुड़े छोटे एवं सूक्ष्म उद्यमों को ऋण सुनिश्चित करने के लिए एमएसएमई क्लस्टरों पर आधारित ऋण बॉटने के लिए कहा था।

उम्मीद है कि माननीय वित्त मंत्री के आवश्यक निर्देश से उत्तर एवं दक्षिण बिहार के ग्रामीण बैंकों की स्थिति में सुधार होगा और वे ऋण बॉटने में सक्षम हो पायेंगे।

यह खुशी की बात है कि दरभंगा एयरपोर्ट को अंतराष्ट्रीय स्तर का बनाने के प्रस्ताव को एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया ने स्वीकृति दे दी है। दरभंगा एयरपोर्ट के अंतराष्ट्रीय स्तर का बनने से उत्तर बिहार के लोगों के लिए विदेशों से आवागमन सुगम होगा, क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों तथा बिजनेस ट्रेवलर्स की संख्या बढ़ेगी। इसके साथ ही उत्तर बिहार में व्यापार एवं निवेश बढ़ाने के राज्य सरकार के प्रयासों को बल मिलेगा। **बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज भी इस दिशा में सरकार से आग्रह करता रहा है।**

यह भी खुशी की बात है कि पासपोर्ट बनाने में बिहार देश के ''ए'' श्रेणी वाले राज्यों में शामिल हो गया है। अभी तक बिहार ''बी'' श्रेणी में था। इस वर्ष 3 लाख 80 हजार लोगों का पासपोर्ट बना है। इसके बाद बिहार को ''ए'' श्रेणी में शामिल किया गया है। ध्यातव्य हो कि 3 लाख से अधिक पासपोर्ट बनाने वाले राज्यों को ''ए'' श्रेणी मिलती है।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डाइरेक्ट टैक्सेस ने एसेसमेंट इयर 2024–25 के आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा जो 31 अक्टूबर, 2024 थी उसे बढ़ाकर 15 नवम्बर, 2024 कर दिया है।

बिहार की राजधानी पटना से तीस किलोमीटर दूर बिहटा में बिहार के पहले ड्राई पोर्ट और इनलैंड कन्टेनर डीपो (ICD) का उद्घाटन माननीय उद्योग मंत्री, बिहार सरकार श्री नीतीश मिश्रा ने 21 अक्टूबर, 2024 को किया। माननीय मंत्री ने इनलैंड कन्टेनर डिपो (ICD) से पहली कन्टेनर ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कन्टेनर की पहली खेप में हाजीपुर के जूते रूस भेजे गये हैं। इस तरह बिहार के निर्यात इतिहास में यह पहली खेप होगी जिसका निर्यात सीधे बिहार के खाते में दर्ज होगा।

आईसीडी बिहटा के प्रारम्भ होने से यही पर कस्टम क्लियरेंस की सुविधा मिल जायेगी। इसे वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग, भारत सरकार के तहत एक अन्तर्देशीय कन्टेनर डीपो के रूप में अनुमोदित किया गया है जिसका सीमा शुल्क लोकेशन कोड INBTA-6 है।

इस ड्राई पोर्ट और कन्टेनर डीपो की स्थापना से बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के लंबित मांग की पूर्ति हुई है। बिहार पूर्वी भारत के लिए अत्याधुनिक लॉजिस्टिक हब बन सकेगा। इसके जरिये बिहार के औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के उत्पादों के निर्यात में आसानी होगी।

बिहार में अब खाद्य पदार्थों में मिलावट की तुरंत पहचान की जा सकेगी। दवा उत्पादों की गुणवत्ता की जॉच भी अब आसान हो जायेगी। अटल इन्क्यूबेशन सेंटर, बिहार विद्यापीठ फाउंडेशन, पटना ने कांग्रोस्मेड फूड टेस्टिंग और आयुष लैब तैयार किया है। इस लैब में किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट की पहचान आसानी से की जा सकेगी।

इस लैब का लाभ छोटे एवं मध्यम खाद्य व्यवसाय संचालकों को होगा। छोटे स्तर पर खाद्य उत्पाद तैयार करने के बाद व्यवसायी इस लैब में जॉच करवा सकेंगे। टेस्ट के बाद उनके उत्पाद को राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL) का प्रमाण–पत्र दिया जायेगा, इससे उनके उत्पाद को ब्रांड के साथ बेहतर बाजार भी मिलेगा।

आजकल बाजार में नकली सरसो तेल, घी आदि बिकने की खबर आ रही है जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होता है । ऐसी स्थिति में स्थानीय कोल्हु में तेल पेरने वालों से सरसो का तेल लेना चाहिए, वह शुद्ध होता है । इसी प्रकार स्थानीय गोपालक जो शुद्ध घी तैयार करते हैं उनसे घी खरीदना चाहिये । इससे स्थानीय गृह उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा और नये–नये लोगों को इन गृह उद्योगों से जुड़ने की अपार सम्भावना बनेगी ।

बन्धुओं, इस माह चैम्बर में कई गतिविधियॉ रही हैं जिनका संक्षिप्त विवरण माननीय सदस्यों की सूचनार्थ इसी बुलेटीन में प्रकाशित है ।

सादर,

आपका

सुभाष पटवारी

सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन में भी हमेशा आगे रहता है।

उन्होंने आगे बताया कि इसी क्रम में विश्व दृष्टि दिवस के अवसर पर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने श्री बालाजी नेत्रालय के सहयोग से दिनांक 15 अक्टूबर 2024 को चैम्बर प्रांगण में आम लोगों के लिए नि:शुल्क नेत्र जाँच शिविर का आयोजन किया था। शिविर में काफी संख्या में लोंगों ने अपनी आँखों का जाँच करायी थी, जिनमें ज्यादातर लोंगों को दवा एवं आँखों को सुरक्षित रखने का सलाह दी गयी थी परन्तु उनमें से 25 लोग ऐसे थे जिनको तत्काल मोतियाबिंद ऑपरेशन की आवश्यकता थी परन्तु आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण वे ऑपरेशन पर होने वाले खर्च को वहन करने में असमर्थ थे। इसी को ध्यान में रखते हुए चैम्बर ने जाँच शिविर में वैसे लोगों को चिन्हित कर उनकी आँखों के मोतियाबिन्द का ऑपरेशन कराने का निर्णय लिया था। उन्होंने बताया कि चैम्बर के ऑपरेशन शिविर में आँख के रोगियों के मोतियाबिन्द का ऑपरेशन श्री बालाजी नेत्रालय के निदेशक डॉक्टर शशि मोहनका एवं उनकी टीम द्वारा किया गया और इस पर होने वाले सारे खर्च का वहन चैम्बर द्वारा किया गया। साथ ही रोगियों को दवा एवं चश्मा भी नि:शुल्क उपलब्ध कराया गया है।

इस अवसर पर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं कार्यकारणी सदस्य श्री अजय गुप्ता एवं अन्य सम्मानित सदस्य सम्मिलित हुए।

विश्व दृष्टि दिवस के उपलक्ष्य में चैम्बर द्वारा नि:शुल्क नेत्र जाँच शिविर का आयोजन

शिविर में प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डा० शशि मोहनका, निदेशक श्री बालाजी नेत्रालय, पटना आँखों की जाँच करते हुए। शिविर संचालन में उपस्थित चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, उपाध्यक्ष श्री प्रदीप चौरसिया, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री राकेश कुमार।

शिविर में प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डा० शशि मोहनका, निदेशक श्री बालाजी नेत्रालय का पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र भेंटकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में उपाध्यक्ष श्री प्रदीप चौरसिया, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री राकेश कुमार।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर 2024 को विश्व दृष्टि दिवस के उपलक्ष्य में चैम्बर प्रांगण में एक नि:शुल्क नेत्र जाँच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉ. शशि मोहनका, निदेशक, श्री बालाजी नेत्रालय, पटना द्वारा आँखों की रेटिना में आने वाली खराबी की जाँच एवं मोतियाबिन्द की स्क्रीनिंग की गयी। चैम्बर के शिविर में पहली बार ऑटोरिफ्रेक्टर जो कि एक कंप्यूटर नियंत्रित मशीन है, के माध्यम से चश्मे एवं कॉन्टेक्ट लेंस की जाँच की गयी।

इस अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी ने बताया कि हर वर्ष अक्टूबर माह के दूसरे गुरूवार को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है और चैम्बर अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु इस अवसर पर नि:शुल्क नेत्र जाँच शिविर का आयोजन करता है ताकि समाज में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का इस कैम्प के माध्यम से आँख जो कि मानव शरीर का सबसे बहुमुल्य अंग है, उसकी जाँच कर लोगों को आँखों को कैसे सुरक्षित रखा जाए इस संबंध में जानकारी दी जा सके।

श्री पटवारी ने आगे बताया कि विश्व दृष्टि दिवस मनाने का उद्देश्य अंधेपन की रोकथाम के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के महत्व पर प्रकाश डालना

नेत्र जाँच शिविर में ब्लड शूगर एवं ब्लड प्रेशर की जाँच कराते लोग।

शिविर में आँखों की जाँच करते टेक्नीशियन।

है। समय पर इलाज एवं सही उपचार के माध्यम से 80 प्रतिशत अंधेपन को रोका जा सकता है। साथ ही उन्होंने इस अवसर पर लोगों से स्वस्थ्य नेत्र के लिए निम्नांकित सुझाव पर अमल करने की भी अपील की –

आहार में अधिकाधिक मात्रा में हरी सब्जियों एवं पीले तथा लाल फलों का उपयोग करें, धूम्रपान न करें, कड़े धूप में आँखों को सूरज की किरणों से बचाने के लिए धूप का चश्मा पहनें, खतरनाक कार्यों के दौरान सुरक्षात्मक चश्मे का उपयोग करें, नियमित व्यायाम करें क्योंकि नियमित व्यायाम न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि आँखों को भी स्वस्थ बनाता है एवं आँखों की नियममित जाँच कराएं ।''

श्री पटवारी ने बताया कि आज के शिविर में 200 से अधिक लोगों के आँखों की जाँच की गई जिसमें लगभग 25 लोगों के आँखों के जाँचोपरान्त मोतियाबिंद के ऑपरेशन की आवश्यकता पाई गई है जिनका ऑपरेशन श्री बालाजी नेत्रालय, नाला रोड, पटना में किया जायेगा एवं ऑपरेशन से संबंधित सभी चीजें जैसे – दवा, चश्मा इत्यादि की व्यवस्था चैम्बर की ओर से किया जाएगा ।

इस शिविर के सफल संचालन में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री प्रदीप चौरसिया, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन कार्यकारिणी सदस्य श्री राकेश कुमार, श्री ओ. पी. टिबड़ेवाल एवं श्री मुनेश जैन तथा अन्य सदस्यों ने सक्रिय भूमिका निभाई।

चैम्बर द्वारा सीएनजी–पीएनजी पर वैट की दरों में कमी का स्वागत

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने मंत्रिपरिषद द्वारा सीएनजी–पीएनजी पर वैट की दरों में कमी के निर्णय का स्वागत करते हुए माननीय वित्त वाणिज्य कर मंत्री श्री सम्राट चौधरी एवं वाणिज्य कर विभाग के वरीय अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया है।

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी ने कहा कि बिहार राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्षद द्वारा कोयला/फर्नेश आयल से चलने वाले औद्योगिक इकाइयों के लिए पीएनजी का उपयोग को अनिवार्य कर दिया गया था जिसके कारण उद्यमियों को काफी असुविधा हो रही थी। क्योंकि इकाइयों में जो मशीनरी एवं उपकरण लगे हैं वह कोयला/फर्नेश आयल से ही हीटिंग होने के लिए डीजाइन किये गए हैं। पीएनजी में परिवर्तन के लिए वर्तमान संरचना में पूरी तरह से बदलाव की आवश्यकता होगी जिसमे बड़े पैमाने पर निवेश के साथ–साथ महत्वपूर्ण परिचालन बाधित होगा।

इस समस्या को देखते हुए बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से पिछले अक्टूबर 2023 माह से ही बराबर सभी मंचों पर पीएनजी का वैट दर कम करने की मांग की जा रही थी।

श्री पटवारी ने कहा कि चैम्बर की ओर से यह भी बताया गया था कि पीएनजी के मामले में वैट की कोई प्रतिपूर्ति नहीं होती है क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादों पर जीएसटी के तहत कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रावधान नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कोयला/भट्टी तेल/बायोमास के स्थान पर पीएनजी का उपयोग करने पर उद्यमियों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। इसके साथ ही यह भी ध्यान दिलाया गया था कि बिहार में पीएनजी पर वैट की दर अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है।

श्री पटवारी ने आशा व्यक्त की है कि इस निर्णय का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और उद्यमियों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही पीएनजी कंपनियों से भी अनुरोध किया है कि उद्यमियों के व्यापक हित में पीएनजी कि दर को कम किया जाये।

चैम्बर द्वारा नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार से पटना–जयपुर–पटना विमान सेवा प्रारम्भ कराने की मांग

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, माननीय नागर विमानन मंत्री श्री किंजरापु राममोहन नायडू, एयरपोर्ट ऑथिरिटी ऑफ इंडिया के सचिव एवं अध्यक्ष तथा विमान सेवा प्रदाता विभिन्न कंपनियों से मांग किया है कि पटना–जयपुर–पटना के लिए विमान सेवा प्रारम्भ करायी जाए जिससे बिहार के उद्यमियों एवं व्यवसायियों के साथ आम लोगों को भी जयपुर जाने–आने में सुविधा हो सके और यह बिहारवासियों के लिए भारत सरकार की ओर से एक उपहार होगा।

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी ने कहा कि भारत सरकार का यह प्रयास है कि देशवासियों को एक जगह से दूसरे जगह जाने में कम–से–कम समय लगे इसी क्रम में उत्कृष्ट श्रेणी के सड़कों का निर्माण, कई एक आधुनिक रेलगाड़ियों का परिचालन एवं अधिकाधिक शहरों को विमान सेवा से जोड़ा जा रहा है जिससे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में कम–से–कम समय लगे और उस बचे समय का उपयोग देशवासी अन्य कार्यों में कर सकें ।

श्री पटवारी ने आगे बताया कि राजस्थान की राजधानी जयपुर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर होने के साथ–साथ राज्य के अधिकतर व्यवसायियों का वहाँ से पारिवारिक संबंध भी है जिसके कारण काफी संख्या में बिहार से उद्यमियों एवं व्यवसायियों का बराबर जयपुर आना–जाना लगा रहता है परन्तु पटना से सीधी विमान सेवा नहीं होने के कारण वर्तमान में बिहार के लोगों को भाया दिल्ली या कोलकाता होकर जाना पड़ता है । इससे उनके समय की बर्बादी के अतिरिक्त आर्थिक बोझ को भी वहन करना पड़ रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि व्यवसायिक संबंध के साथ–साथ गुलाबी नगर के नाम से मशहूर जयपुर भारत के सबसे खूबसूरत शहर और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध होने के कारण बिहार से काफी संख्या पर्यटक वहाँ घूमने एवं दर्शनीय स्थानों को देखने जाते हैं। इस सेवा के प्रारम्भ होने से राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों को काफी सुविधा हो जाएगी।

देश के सुप्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा के निधन से चैम्बर मर्माहत

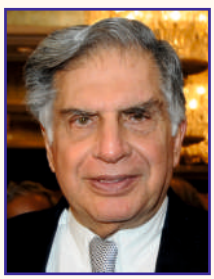

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने देश के सुप्रसिद्ध उद्योगपति एवं देश के सबसे बड़े उद्योग समूह टाटा संस के मानद चेयरमैन रतन टाटा (86) के निधन को अपूरणीय क्षति बताते हुए कहा कि बिहार का सम्पूर्ण व्यवसाई समाज उनके निधन से मर्माहत है। रतन टाटा का निधन दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल, मुंबई में हो गया है।

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी ने बताया कि रतन टाटा ने टाटा समूह एवं टाटा संस के चेयरमैन के रूप में कार्य करते हुए टाटा समूह को एक नई उचाई पर पहुचाया। उनके नेतृत्व में, टाटा समूह ने वैश्विक स्तर पर विस्तार किया और टेटली, कोरस, जगुआर, लैंड रोवर जैसे कई महत्वपूर्ण कंपनियों का अधिग्रहण किया। वैश्विक मंच पर भारतीय उद्योग को प्रतिष्ठा दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अपनी सादगी से रतन टाटा ने एक अलग पहचान बनाई थी।

श्री पटवारी ने कहा कि उनकी विनम्रता, दूरदर्शिता और नेतृत्व ने देश को एक नई दिशा दी। उनका जाना न केवल उद्योग जगत बल्कि पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है। देश के प्रति उनके अतुलनीय योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें साल 2000 में तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण एवं 2008 में दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया था।

चैम्बर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उनको अपने श्रीचरणों में स्थान दें एवं उनके परिजनों तथा प्रशंसकों को संबल प्रदान करें।

चैम्बर के सदस्यों ने पटना एयरपोर्ट पर रतन टाटा जी का स्वागत किया था

दिनांक 14 मई 1993 को स्व0 रतन टाटा का स्वागत बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्यों द्वारा किया गया था।

चैम्बर के पूर्व महामंत्री के. पी. जालान का निधन

के. पी. जालान बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सत्र 1994-95 एवं 1995-96 में महामंत्री थे। के पी. जालान जी का निधन ब्रेन स्टोक के कारण 30 सितम्बर, 2024 को हो गया है।

1 अक्टूबर, 2024 को चैम्बर प्रांगण में शोक सभा का आयोजन किया गया जिसमें ईश्वर से स्व. जालान की आत्मा को चिर स्थायी शांति प्रदान करने एवं उनके शोक संतप्त परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की गयी।

चैम्बर द्वारा बिजली की दरों में बढ़ोतरी संबंधी बिजली कंपनी की पुनर्विचार याचिका को बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा खारिज करने के निर्णय का स्वागत

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने राज्य में बिजली की दरों को बढ़ाने के लिए बिजली कंपनियों द्वारा बिहार विद्युत विनियामक आयोग को दिए गए पुनर्विचार याचिका को आयोग द्वारा नामंजूर किए जाने के निर्णय का हार्दिक स्वागत करते हुए आयोग के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया है।

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी ने बताया कि बिजली कंपनियों ने माह अक्टूबर 2023 में बिहार विद्युत विनियामक आयोग को वित्तीय वर्ष 2024-2025 के विद्युत टैरिफ में 3.03% की बढ़ोतरी करने की मांग किया था जिसे आयोग द्वारा नामंजूर करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए घोषित विद्युत टैरिफ में वृद्धि न करके उसके टैरिफ में कमी के निर्णय लिया था।

श्री पटवारी ने बताया कि पुनः गत चार माह पूर्व बिजली कंपनियों ने राज्य में विद्युत की दरों को बढ़ाने के लिए एक पुनर्विचार याचिका आयोग के समक्ष समर्पित किया था।

उक्त आलोक में आयोग ने स्टेकहोल्डर से आपत्ति मांगी थी । इस संबंध में पहली बैठक आयोग ने दिनांक 11 जुलाई 2024 को की थी और पुनः इसकी फाइनल सुनवाई दिनांक 2 अगस्त 2024 को हुई थी जिसमें चैम्बर की ओर से बिजली कंपनियों द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका का पूरजोर विरोध किया गया था और एक ज्ञापन भी आयोग को समर्पित किया गया था जिसमें कहा गया था कि यदि आदेश में स्पष्ट गलती/त्रुटि है तो उसे सुधारा जा सकता है, आदेश का रिव्यू नहीं किया जा सकता है, यदि 2023-2024 के आंकड़ों में कुछ अंतर है तो उसे अगले साल के टैरिफ निर्धारण के दौरान सत्यकरण में लिया जाए और यदि बिजली कंपनियाँ आयोग के टैरिफ आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो उसे उचित मंच पर अपील करना चाहिए।

श्री पटवारी ने कहा कि आयोग के इस निर्णय का सकारात्मक प्रभाव राज्य के उद्योग एवं व्यवसाय पर पड़ेगा और सरकार की ओर से बिहार में उद्योगों के तेज गति से विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा।

चैम्बर द्वारा साइबर सिक्योरिटी पर कार्यशाला का आयोजन

चैम्बर पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कार्यशाला में साइबर सिक्योरिटी पर विस्तृत जानकारी देते सीडैक के श्री दीपक कुमार।

कार्यशाला में चैम्बर के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को साइबर सिक्योरिटी पर जानकारी देते सीडैक के श्री दीपक कुमार।

साइबर सुरक्षा पर पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से चैम्बर पदाधिकारियों एवं सदस्यों को जानकारी देते सीडैक के श्री प्रशांत श्रीवास्तव।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 24 अक्टूबर 2024 को साइबर सिक्योरिटी के संबंध में व्यवसायियों को विस्तृत जानकारी हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी ने सीडैक के पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि साइबर सिक्योरिटी वर्तमान समय में काफी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि आज के समय में प्रत्येक कार्य इलेक्ट्रोनिक माध्यम से हो रहा है और उसकी सुरक्षा हमलोग कैसे बनाए रखें इसकी जानकारी बहुत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से आज की कार्यशाला का आयोजन किया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि साइबर सिक्योरिटी एक प्रकार की सुरक्षा होती जिसका कार्य इंटरनेट से जुड़े डिजिटल डिवाइस के डाटा को सुरक्षा प्रदान करना होता है। इसके माध्यम से इंटरनेट पर हो रही गलत गतिविधियों को रोका जाता है जिससे कि आपका डाटा सुरक्षित रहे। यह सुरक्षा कंप्यूटर, सर्वर, मोबाइल और नेटवर्क को इंटरनेट पर होनेवाले साइबर हमलों से बचाता है।

श्री पटवारी ने बताया कि कार्यशाला में व्यवसायियों को साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट द्वारा विस्तार से बताया गया। साथ ही व्यवसायियों को समझने में आसानी हो इसके लिए पावर प्वाइंट प्रजेंटशन के माध्यम से जानकारी दी गयी।

कार्यशाला में सीडैक के श्री प्रशांत श्रीवास्तव एवं श्री दीपक कुमार ने पावर प्वाइंट प्रजेनटेशन के माध्यम से साइबर सिक्योरिटी के संबंध में विस्तार पूर्वक बताते हुए कहा कि अपना आवश्यक डाटा का बैकअप अवश्य बना कर रख लें, अपने-अपने सिस्टम में एंटीवायरस अवश्य इंस्टौल करें, अंजान लिंक और एप्स को डाउन लोड नहीं करें यदि कोई अंजान कॉल या अंजान अनसिक्योर्ड मेल आता हो तो उसका वैरिफाइ करने के उपरान्त ही जवाब दें।

यदि आपके साथ किसी तरह फिनान्सीयल फ्रॉड होता है तो तुरन्त 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज करायें या https//cybercrime-gov-in पर रिपोर्ट करें। सोशल मीडिया पर अपना व्यक्तिगत फोटो या वीडियो को शेयर करने से बचें।

कार्यशाला में उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, पूर्व अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, आईटी उप समिति के चेयरमैन श्री अखिलेश कुमार, श्री पवन भगत, श्री अजय कुमार, श्री बिनोद कुमार, श्री विकास कुमार, श्री पी० के० सिंह, श्री श्याम बिहारी प्रसाद, श्री अशोक कुमार एवं अन्य सम्मानित सदस्यगण सम्मिलित हुए।

सितम्बर माह में 1497 करोड़ रुपये हुआ जीएसटी संग्रह

सितम्बर 2024 में 1497 करोड़ का जीएसटी संग्रह हुआ, जो कि सितम्बर 2023 की तुलना में सात प्रतिशत अधिक है। हालांकि, राशि में वृद्धि के अनुपात में अगस्त की तुलना में सितम्बर में बिहार में जीएसटी की वसूली कुछ कम हुई है। सितम्बर, 2023 में 1397 करोड़ रुपये की वसूली हुई थी, जबकि इस वर्ष सितम्बर में जीएसटी के रूप में 1497 करोड़ का राजस्व मिला है। पड़ोसी राज्यों की उपलब्धि बिहार से कम रही है। पिछले वर्ष सितम्बर की तुलना में इस वर्ष सितम्बर में झारखण्ड में मात्र एक प्रतिशत अधिक की वसूली हुई है। उत्तर प्रदेश में तीन प्रतिशत और बंगाल में पाँच प्रतिशत अधिक की वसूली हुई। राष्ट्रीय स्तर पर औसत वृद्धि छह प्रतिशत की रही है।

(साभार : दैनिक जागरण, 5.10.2024)

चैम्बर में एफएम रेडियो प्रसारण के चरण-III के नीलामी पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

जागरूकता कार्यक्रम में श्री संजीव शंकर, संयुक्त सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार का पुष्प गुच्छ से स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी। साथ में उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय।

सदस्यों को संबोधित करते श्री संजीव शंकर, संयुक्त सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। उनकी दांयीं ओर चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय एवं बांयीं ओर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर।

एफएम रेडियो प्रसारण के चरण-III की नीलामी के बारे में पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा चैम्बर सदस्यों को विस्तृत जानकारी देते श्री संजीव शंकर, संयुक्त सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज में एफएम रेडियो प्रसारण के चरण-III के नीलामी पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 25 अक्टूबर 2024 को किया जिसमे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री संजीव शंकर, भा.प्र.से. ने उद्यमियों एवं व्यवसायियों को नीलामी की प्रक्रिया एवं मानदंड के बारे में विस्तारपूर्वक बताया।

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि मित्रों आपको बता दूँ कि भारत सरकार द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से FM Radio क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोला है। वर्तमान में 26 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के 113 शहरों में 388 FM Radio Station चल रहे हैं। इसी क्रम में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार ने एफएम रेडियो प्रसारण के चरण-III (बैच 3) को निजी भागीदारी के तहत खोलने का निर्णय लिया है। इसके तहत भारत के 234 नये शहरों में 730 नये एफएम चैनल प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। बिहार में भी 18 स्थानों यथा – आरा, औरंगाबाद, बगहा, बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर, बिहारशरीफ, छपरा, दरभंगा, गया, किशनगंज, मोतिहारी, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा, सासाराम, सीतामढ़ी एवं सिवान में 57 निजी एफएम रेडियो चैनल के प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव है जो नीलामी के माध्यम से दिया जायेगा।

मुख्य अतिथि संयुक्त सचिव श्री संजीव शंकर ने कहा कि भारत सरकार चाहती है कि देश के सभी भागों के सुदूर क्षेत्रों तक एफएम रेडियो की पहुँच हो ताकि स्थानीय स्तर के हर प्रकार की सूचनाओं की जानकारी प्राप्त हो सके। वर्तमान में इस पर मीडिया का दबदबा है इसलिए सरकार का प्रयास है कि हर क्षेत्र के लोग इसमें शामिल हों। उन्होंने पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से नीलामी की पूरी प्रक्रिया एवं मानदंडों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकरी देते हुए उद्यमियों एवं व्यवसाइयों से इसकी नीलामी में भाग लेने का अनुरोध किया।

इस कार्यक्रम में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, श्री मुकेश जैन, श्री रामचन्द्र प्रसाद, श्री पवन भगत, श्री राजा बाबु गुप्ता, श्री विकास कुमार, श्री श्याम बिहारी प्रसाद एवं अन्य सम्मानित सदस्यगण सम्मिलित हुए।

चैम्बर में बीआईएस के सहयोग से स्टेकहोल्डर्स कॉन्क्लेव का आयोजन

मंचासीन चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी। उनकी बायीं ओर क्रमशः पूर्व पुलिस महानिदेशक, बिहार श्री अभयानंद, निदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो श्री एस. के. गुप्ता। उनकी दायीं ओर क्रमशः चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय एवं कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन।

कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन करते चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में पूर्व पुलिस महानिदेशक, बिहार श्री अभयानंद, निदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो श्री एस. के. गुप्ता, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन एवं महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय।

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी का स्वागत करते निदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो श्री एस. के. गुप्ता। साथ में पूर्व पुलिस महानिदेशक, श्री अभयानंद, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो के सहयोग से हितधारक सम्मेलन (Stakeholders Conclave) का आयोजन चैम्बर प्रांगण में दिनांक 7 अक्टूबर 2024 की किया गया जिसमें भारतीय मानक ब्यूरो क्या है और कैसे कार्य करता है, इस सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गयी।

चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष पी० के० अग्रवाल ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि इस कॉन्क्लेव के आयोजन का उद्देश्य सदस्यों को इसके कार्य प्रणालियों के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक अवगत कराना है।

मुख्य अतिथि पूर्व पुलिस महानिदेशक, बिहार श्री अभयानंद ने कहा कि बीआईएस को सभी लोगों को अच्छे मानक का वस्तु उपलब्ध हो इसका प्रयास करना चाहिये साथ ही उसकी कीमत भी नहीं बढ़े, इसका भी ध्यान रखना चाहिये।

बीआईएस के अधिकारियों द्वारा पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया गया कि यह कैसे कार्य करता है और यह क्यों आवश्यक है।

इस कार्यक्रम में भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से निदेशक श्री एस० के० गुप्ता, संयुक्त निदेशक श्री वी० के० गौरव, उप निदेशक श्री हिमांशु कुमार एवं श्री सुधांशु सुमन उपस्थित थे।

इस कॉन्क्लेव में चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी, उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, श्री मुकेश जैन, श्री एन० के० ठाकुर, श्री ए० के० पी० सिन्हा, श्री अजय गुप्ता, श्री रामचन्द्र प्रसाद, श्री बिनोद कुमार एवं अन्य सम्मानित सदस्यगण सम्मिलित हुए।

पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल का स्वागत करते संयुक्त निदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो श्री वी. के. गौरव। साथ में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर।

वाणिज्य-कर विभाग द्वारा समस्याओं पर विमर्श हेतु आयोजित बैठक में चैम्बर शामिल हुआ

वाणिज्य-कर विभाग, बिहार सरकार की ओर से दिनांक 7 अक्टूबर, 2024 को चैम्बर तथा विभिन्न संगठनों के साथ समस्याओं एवं सुझावों पर विमर्श करने हेतु एक बैठक, कर भवन, पटना में हुई। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य-कर विभाग के आयुक्त-सह-सचिव श्री संजय कुमार सिंह, भा.प्रा.से. ने की।

बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री बिनोद कुमार तथा श्री अभिजित बैद सम्मिलित हुए।

बिहार से इंटरनेशनल से लेकर नेशनल लेवल पर इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट की होगी फैसलिटी
NOW EASY EXPORT & IMPORT FROM BIHAR'S 1st DRY PORT

ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो में भंडारण, सीमा शुल्क सम्बन्धी सुविधा, कम्प्यूटरीकृत कार्गो ट्रैकिंग प्रणाली, पैकेजिंग और मल्टी-मॉडल परिवहन सम्बन्धी सेवाएं एक ही स्थान पर

बिहार इंडस्ट्री के लिए 21 अक्टूबर 2024 का दिन खास रहा. इंडस्ट्रलिस्टों की एक बड़ी मांग पूरी हो गई. बिहार को अपना पहला ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो मिल गया है. बिहार सरकार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने पटना के बिहटा में इसकी आधारशिला रखी. सोमवार को यहां से पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बड़ा दिन है. इससे औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा.

BCC की 1991 से थी मांग : बिहार इंडस्ट्री की ड्राइ पोर्ट को लेकर लम्बे समय से मांग चली आ रही थी. 1991 में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक डेलिगेशन दिल्ली गया था. वहां पर केंद्र सरकार से सबसे पहले इसकी मांग रखी गई थी. फिर समय-समय पर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस मांग को लगातार दोहराते आ रही थी.

रेल लिंक्ड है फैसलिटी : यह रेल-लिंक्ड सुविधा बिहार और प्रमुख इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट के बीच एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट कार्यों की सुचारू और निर्बाध आवाजाही की सुविधा प्रदान करके, पूर्वी भारत के लिए एक अत्याधुनिक लॉजिस्टिक हब बनने की ओर एक बड़ा कदम होगा.

क्या है लक्ष्य : बिहार में बढ़ते उद्योग की संभावनाओं के बीच औद्योगिक वातावरण को बूस्ट करने में मदद करेगा. वर्ष 2047 तक विकसित भारत की यात्रा में बिहार के योगदान को लेकर भी इसमें एक अहम भूमिका होगी.

इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट की मिलेगी सुविधा : बिहटा ड्राई पोर्ट से बिहार के बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए एक्सपोर्ट-इंपोर्ट अब बेहद ही आसान हो जायेगा. ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो में भंडारण, सीमा शुल्क संबंधी सुविधा, कम्प्यूटरीकृत कार्गो ट्रैकिंग प्रणाली, पैकेजिंग और मल्टी-मॉडल परिवहन संबंधी सेवाएं एक ही स्थान पर एकीकृत रूप से उपलब्ध होगी. यहां से इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सुविधा भी मिलेगी. देश के भीतर भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में अब आसानी हो जायेगी.

प्रिस्टिन मगध द्वारा तैयार : भारत सरकार के वित्त मंत्रालय व राजस्व विभाग द्वारा इनलैंड कंटेनर डिपो, बिहटा को ड्राई पोर्ट बिहटा के प्रिस्टिन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है.

चैम्बर अध्यक्ष बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठक में सम्मिलित हुए

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के परियोजना समाशोधान समिति (PCC) की बैठक दिनांक 9 अक्टूबर. 2024 एवं 28 अक्टूबर. 2024 को विभागीय सभाकक्ष में हुई।

बैठक की अध्यक्षता श्री कुंदन कुमार, भा.प्र.से. प्रबन्ध निदेशक, बियाडा ने विडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से की।

उक्त बैठक में चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी सम्मिलित हुए।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ड्राई पोर्ट बनने का किया स्वागत : बिहार में बने पहले ड्राई पोर्ट को लेकर बिजनेस कम्युनिटी इसे काफी पॉजिटिव तौर पर देख रही है. बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसका स्वागत करते हुए कहा है कि बिहार के विकास के लिए यह एक बड़ा कदम है. एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट में अब काफी कुछ इससे मामला शॉट आउट हो जायेगा.

अब कलकत्ता पर नहीं रहना होगा निर्भर : इसके पहले बिहार में जो भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता था, वह कलकत्ता से हुआ करता था, इसमें क्लिनिंग एजेंट से लेकर कस्टम क्लियरेंस तक काफी दिक्कतें आती थी. अब ड्राई पोर्ट होने के बाद क्लिनिंग एजेंट से लेकर कस्टम क्लियरेंस तक का काम यहीं से हो जायेगा, जिसका असर बिहार में उत्पादकता व खपत के लेवल पर भी साफ तौर पर देखने को मिल सकता है.

"बिहार के व्यापक हित में उठाया गया एक शानदार कदम है. जिससे बिहार की औद्योगिक तस्वीर बदल जायेगी. 1991 से ही हमलोग इसकी मांग करते आ रहे हैं. बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स समय-समय पर इस मांग को जोर शोर से केंद्र सरकार के समक्ष उठाते आई थी. अब जाकर उनकी वर्षों पुरानी मांग पूरी हो रही है."

– सुभाष कुमार पटवारी, प्रेसिडेंट
बिहार चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, पटना, बिहार

साभार : दैनिक जागरण, आई नेक्स्ट, 22.10.2024)

दरभंगा में अगले माह वित्त मंत्री बांटेंगी एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का ऋण

ऋण लेने के इच्छुक लोगों को ऑन द स्पॉट ऋण वितरण के लिए केन्द्र सरकार क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम चला रही है। इसके तहत केन्द्रीय मंत्री और अधिकारी राज्य सरकार के सहयोग से देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर ऋण का वितरण करते हैं। इस कड़ी में अगला क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम दरभंगा में 18 और 19 नवम्बर को आयोजित किया जा रहा है। दरभंगा के कार्यक्रम में खुद केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद रहेंगी। इस कार्यक्रम में एक हजार करोड़ से अधिक का ऋण वितरण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

इसमें मदद करने के लिए वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएँ विभाग के सचिव एम नागराजू ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर आग्रह किया है। इसके तहत राज्य सरकार के उन विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए कहा है जिनकी सहायता से ऋण वितरण किया जा सके। वहीं, दरभंगा में जरूरी सुविधा उपलब्ध करवाने का भी आग्रह क्रिया गया है। केन्द्र से पत्र मिलने के बाद वित्त विभाग के साथ-साथ अन्य विभाग भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारी में जुट गये हैं।

मार्च 2024 को छपरा में हुआ था क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम : इससे पहले बिहार में पाँच मार्च को छपरा में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान केन्द्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के जरिये 1349.52 करोड़ रुपये ऋण के रूप में 61 हजार 787 लाभार्थियों में वितरित किये गये थे। इसमें केन्द्र सरकार की 9 योजनाएँ, जिसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्टैंडअप इंडिया, एग्रिकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा पीएम स्वनिधि, जीविका जैसी योजनाओं के लाभार्थी भी शामिल थे।

क्या है क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम : वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएँ विभाग के नेतृत्व में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और जिन जिलों में लोन आवटन की रफ्तार कम है, वहाँ सरकारी बैंकों की तरफ से क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम स्थल पर ही लोन के इच्छुक उम्मीदवारों को लोन आवंटित कर दिया जाता है। इससे मुख्य रूप से महिलाओं व गरीबों को सरकार की विभिन्न स्कीम के तहत क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के तहत लोन का आवंटन किया जाता है। इनमें मुद्रा लोन भी शामिल है। इसके अलावा वित्तीय समावेश के लिए चलायी जा रही विभिन्न प्रकार की स्कीम की पेशकश भी कार्यक्रम स्थल पर की जाती है।

(साभार : प्रभात खबर, 18.10.2024)

निवेश प्रोत्साहन बोर्ड ने दी 45 इकाइयों के लिए 869 करोड़ रुपये की स्वीकृति

राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड ने 45 इकाइयों में सन्निहित 868.69 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। विकास आयुक्त श्री चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में दिनांक 15.10.2024 को हुई बोर्ड की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गई। इसके अलावा 62 इकाइयों के लिए 2347.47 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक सहमति दी गई है। यह सहमति पहले चरण (स्टेज-1) के लिए है। जे के सीमेंट, ब्रिटानिया, पटेल एग्री, एसजेपीबी हथुआ मिल, पीनाक्ष स्टील आदि औद्योगिक घरानों की इकाइयों को निवेश की स्वीकृति दी गई है।

तमाम विपरीत परिस्थितियों के बीच बिहार में जो औद्योगिक माहौल बना है, वह नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व का प्रतिफल है। निवेशकों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से सरकार के स्तर पर सम्मेलन आदि भी आयोजित हो रहे हैं। इसका परिणाम सुखद है। चालू वित्तीय वर्ष (2024-25) में अब तक कुल 243 इकाइयों को कुल 4646.57 करोड़ रुपये की पहले चरण की स्वीकृति मिली चुकी है। 146 इकाइयों को 1723 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी जा चुकी है।

बोर्ड की बैठक में उद्योग विभाग की सचिव बंदना प्रेयसी, पर्यटन सचिव लोकेश कुमार सिंह, वित्त संसाधन सचिव आशिमा जैन, उद्योग निदेशक आलोक रंजन घोष, राज्य प्रदूषण बोर्ड के सदस्य सचिव नीरज नारायण, खाद्य प्रसंस्करण के निदेशक रवि प्रकाश आदि उपस्थित रहे। **(साभार : दैनिक जागरण, 16.10.2024)**

राज्य की औद्योगिक इकाइयों में कार्बन गैसों का उत्सर्जन मापने के लिए मशीन लगेगी

ठंड का मौसम आते ही पटना समेत प्रदेश के सभी जिलों में वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। अधिकांश जिलों में एक्यूआई लेवल 300 से पार हो जाता है। छोटे-बड़े उद्योगों से निकलने वाला धुआं हवा में मिलकर लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है। राज्य में बड़े उद्योगों से निकलने वाले धुएँ में कौन-कौन सी गैस ज्यादा रहती है, इसकी जाँच के लिए उत्सर्जन मापक यानी एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम लगेगा। इसके जरिए वायु प्रदूषण का पता लग सकेगा। नई और पुरानी उद्योग इकाइयों में एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाएगा। उन उद्योग संचालकों को खुद ही मशीन लगानी है, जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नियम से चल रहे हैं। औद्योगिक उत्सर्जन की निगरानी के लिए पटना, पूर्णिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, आरा, बक्सर सहित राज्य के सभी जिलों में 100 इकाइयों में सीईएमएस लगाना है। 40 इकाइयों में यह लग गया है, बाकी में मार्च तक लगा लेना है। इनमें से निकलने वाली जहरीली गैसों को कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम (सीईएमएस) का इस्तेमाल कर कम किया जाएगा। पार्टिकुलेट मैटर में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों का आंकड़ा जानकर उद्योगों को पर्यावरण मानकों के अनुरूप किया जाएगा। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 4.10.2024)**

छोटे उद्यमियों के लिए बड़ा प्लेटफार्म बना जीईएम

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) ने पिछले आठ वर्षों में मेक इन इंडिया के तहत बाजार के अवसरों को पारदर्शी बनाया है। इस पोर्टल ने बिचौलिया प्रणाली को खत्म कर नई तकनीक के जरिये स्टार्टअप एवं छोटे उद्यमियों को बड़ा प्लेटफार्म दिया है। इससे सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के साथ ही महिला उद्यमियों को भी बाजार में मजबूती के साथ आगे बढ़ने का मौका मिला है। अभी तक साढ़े 26 हजार से ज्यादा स्टार्टअप जीईएम के माध्यम से 29 हजार करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर चुके हैं। सिर्फ वित्त वर्ष 23-24 में जीईएम पोर्टल पर स्टार्टअप ने 97 हजार से अधिक आर्डर की आपूर्ति की है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'मेक इन इंडिया' अवधारणा के तहत सितम्बर 2016 में जीईएम पोर्टल की शुरूआत की गई थी। इसका उद्देश्य कारोबार में नवाचार के जरिये बुनियादी ढांचे का विकास करना था, ताकि देश की प्रगति को सहारा मिल सके। पोर्टल पर उत्पादों एवं सेवाओं को सूचीबद्ध करने के लिए मेक इन इंडिया की शर्तों को अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे स्थानीय निर्माताओं की पहचान कर उन्हें प्राथमिकता देना आसान हो गया है। जीईएम ने वोकल फोर लोकल स्टोर के जरिये महिला, एससी-एसटी, एमएसएमई, कारीगर, बुनकर, शिल्पकार, स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन और सहकारी समितियों के कारोबारी दायरे का विस्तार किया है।

जीईएम के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजीत बी. चव्हाण ने बताया कि पाँच लाख से अधिक के अनुमानित मूल्य वाली बोलियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। तीन वर्ष पहले तक जीईएम पोर्टल पर सरकारी संस्थाओं द्वारा मंगाई गई 39 प्रतिशत निविदा 'मेक इन इंडिया' से जुड़ी होती थीं। अब यह बढ़कर (सितम्बर 2024 तक) 81 प्रतिशत हो गया है। चव्हाण के मुताबिक लेनदेन शुल्क में कटौती सबके लिए समान अवसर पैदा करने का प्रयास है, ताकि सार्वजनिक खरीद की सहज प्रणाली विकसित की जा सके।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 6.10.2024)

MSME के लिए कर्ज राशि बढ़ाने की SBI की योजना

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) एमएसएमई क्षेत्र को आसानी से पर्याप्त कर्ज उपलब्ध कराने के लिए तत्काल ऋण योजना के तहत कर्ज सीमा को मौजूदा पाँच करोड़ रुपये से बढाने की योजना बना रहा है। 'एमएसएमई सहज' 'डिजिटल इनवॉयस' वित्त पोषण योजना है। इसके तहत बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के 15 मिनट के भीतर ऋण के लिए आवेदन करने, दरतावेज उपलब्ध कराने और स्वीकृत ऋण को जारी करने की सुविधा दी जाती है।

एसबीआई के चेयरमैन सी. एस. शेट्टी ने एक बातचीत में कहा, 'हमने पिछले साल पाँच करोड़ रुपये तक की ऋण सीमा के लिए एक डेटा आधारित मूल्यांकन शुरू किया था। हमारी एमएसएमई शाखा में आने वाले किसी भी व्यक्ति को केवल अपना पैन और जीएसटी आंकड़ों तक पहुँच की अनुमति देनी होगी। हम 15-45 मिनट में मंजूरी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि बैंक एमएसएमई ऋण के सरलीकरण पर जोर दे रहा है। इससे गिरवी रखने की जरूरत कम हो जाती है, और बहुत से लोग संगठित एमएसएमई उधार प्रणाली में आ सकेंगे।

शेट्टी ने कहा, 'अभी भी बड़ी संख्या में एमएसएमई ग्राहक हैं, जो असंगठिन क्षेत्र से ऋण ले रहे हैं। हम उन्हें बैंक के दायरे में लाना चाहेंगे।' नेटवर्क विस्तार के सवाल पर शेट्टी ने कहा कि एसबीआई चालू वित्त वर्ष में देश भर में 600 शाखाएँ खोलने की योजना बना रहा है। मार्च 2024 तक एसबीआई के पास देश भर में 22,542 शाखाओं का नेटवर्क था।

(विस्तृत : राष्ट्रीय सहारा, 14.10.2024)

राज्य में इथेनॉल बना चीनी मिलों की संजीवनी

मिलों की आर्थिक स्थिति सुधरने से किसानों को समय पर मिल रहा भुगतान, चीनी उत्पादन 35 फीसदी बढ़ा

इथेनॉल ने राज्य की चीनी मिलों को संजीवनी दी है तो किसानों को नई ऊर्जा। इससे मिलों को घाटा से उबरने में मदद मिली है तो किसानों के गन्ना भुगतान की स्थिति सुधरी है। पहले गन्ना भुगतान के लिए किसानों को लंबा इंतजार करना पड़ता था, अब एक मिल को छोड़ दिया जाए तो इस वर्ष भुगतान शत-प्रतिशत हो गया है। यही कारण है कि चीनी मिलों ने भी इथेनॉल उत्पादन बढ़ा दिया है। आंकड़ों पर गौर करें तो यही सच्चाई नजर आती है। चार वर्ष पहले राज्य की नौ मिलों में वर्ष 2020-21 में चीनी उत्पादन 4.62 लाख टन हुआ था, उस वर्ष इथेनॉल उत्पादन 57575.7 किलोलीटर हुआ। वहीं, वर्ष 2022-23 में चीनी का उत्पादन 6.27 लाख टन और इथेनॉल का उत्पादन 111624.56 किलो लीटर हुआ।

इस तरह देखें तो इस दौरान चीनी उत्पादन 35.71 फीसदी बढ़ा। वहीं, इथेनॉल उत्पादन में 93.87 फीसदी वृद्धि हुई। यानी इथेनॉल उत्पादन दागुना हो गया। शराबबंदी के बाद रेक्टिफाइड स्पिरिट पर प्रतिबंध लगने के बाद से बिहार की मिलें इथेनॉल उत्पादन कर रही हैं। तेल कंपनियाँ इनसे 49 से 60 रुपये प्रति किलोलीटर की दर से इथेनॉल खरीद रही हैं। ग्रीन फ्यूल को पेट्रोल में 20 फीसदी तक मिलाकर इसे बेचा जा रहा है। राज्य की मिलें बिजली उत्पादन में मदद कर रही हैं। वर्ष 2020-21 में 198564.25 मेगावाट बिजली उत्पादन हुआ तो वर्ष 2022-23 में बढ़कर यह 277482.39 पर पहुँच गया। इससे भी मिलों को फायदा हुआ है। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 6.10.2024)**

नया औघोगिक क्षेत्र बनाने के लिए पटना में भूमि की कमी

विकास आयुक्त चैतन्य प्रसाद ने सभी विभागों व जिलों को विकास योजनाओं में तेजी लाने और उनका प्रभावी तरीके से कार्यान्वयन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने भवन निर्माण, उद्योग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, ग्रामीण कार्य, नगर विकास व आवास पर्यटन और योजना एवं विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा और प्रस्तावित योजनाओं की स्थिति पर चर्चा की। बैठक में सभी विभागों के विभागाध्यक्ष थे, जबकि जिलाधिकारियों के अलावा प्रमंडलीय आयुक्त वीडियो कान्फ्रेंसिंग से जुड़े। उद्योग विभाग के तहत औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण और सीमांकन पर जोर दिया गया। 31 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 7600 एकड़ भूमि में से 1800 एकड़ भूमि शेष हैं। पटना, गया और मुंगेर समेत कुछ जिलों में भूमि की कमी है, बैठक में विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत स्वीकृत व लंबित मामलों की भी

समीक्षा हुई। कार्यान्वयन में वैशाली व रोहतास आग्रणी जिलों में है; बैठक में बताया गया कि नयी पर्यटन नीति के कई लाभ हैं। नयी परियोजनाओं को 30 फीसदी तक सब्सिडी मिल सकती है। परियोजनाओं में होटल, रिसॉर्ट, इको-पर्यटन, एडवेंटर टूरिज्मस वेलनेय सेंटर जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं।

(साभार : प्रभात खबर, 17.10.2024)

गया में इंडस्ट्रीयल टाउनरिप के लिए बना डीपीआर

अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरीडोर पर विकसित की जा रही इंडस्ट्रियल टाउनशिप / इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर परियोजना की डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार कर ली गयी है। इस तरह इस क्लस्टर विकास पर करीब 1350 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। बनायी गयी डीपीआर में चिन्हित जमीन को सुरक्षित और उसकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए विशेष मार्किंग कराने के आदेश दिये गये हैं। बियाड़ा के निवेश आयुक्त और मैनेजिंग डाइरेक्टर कुंदन कुमार और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरीडोर डेवलमेंट कॉरपोरेशन (एनआइसीडीसी) के सीइओ/एमडी रजत कुमार सैनी ने प्रोजेक्ट का मुआयना किया। इस दौरान विभिन्न विभागों को जरूरी जवाबदेहियां दी हैं। दोनो अधिकारियों ने परियोजना क्षेत्र का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान विभागों के जवाबदेह अफसरों के साथ बैठक कर जरूरी जिम्मेदारियाँ भी दी गयीं। उदाहरण के लिए क्लस्टर के लिए पानी, बिजली और संपर्क मार्ग विकसित करने के लिए कहा गया है। परियोजना के लिए पानी प्रबंध कैसे किया जाये, संबंधित एजेंसियाँ सर्वे करके निर्णय लेंगी। इस दौरान अफसरों के साथ मिल कर प्रोजेक्ट के सभी हितधारकों से बातचीत भी की गयी। इस दौरान गया के डीएम और एसपी भी मौजूद रहे।

बिहार के निवेश आयुक्त और बियाडा के एमडी कुंदन कुमार ने इस दौरान गया में उद्यमियों के साथ जुड़ने के लिए आयोजित उद्यम संवाद बैठक की अध्यक्षता की। कुंदन कुमार ने उद्योगों के लिए उपलब्ध सुविधाओं और बुनियादी ढांचे का निरीक्षण करने के लिए गया के औद्योगिक क्षेत्र मानपुर का भी दौरा किया। यह कॉरीडोर 1670 एकड़ में स्वीकृत किया गया है।

(साभार : प्रभात खबर, 17.10.2024)

एक किलोवाट का सोलर प्लेट लगाने पर रुपया 30000 सब्सिडी

प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना के तहत राजधानी में उपभोक्ताओं के घरों में सोलर प्लेट लगना शुरू ही गया है। बिजली कंपनी के अनुसार उपभोक्ताओं को अपने छतों पर एक किलोवाट का सोलर प्लेट लगाने पर 30, 000 रुपये का अनुदान मिल रहा है। राजधानी सहित ग्रामीण इलाकों के बिजली उपभोक्ता अब अपने नजदीकी बिजली उपकेन्द्रों में आकर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए आवेदन दे सकते हैं। इस रूफ टॉप सोलर प्लेट लगाने के लिए सरकार की तरफ से अनुदान राशि भी दी जायेगी।

सोलर प्लेट पर मिलने वाला अनुदान

किलोवाट	अनुदान राशि	टोटल खर्च	वास्तविक खर्च
01 किलोवाट	रु 30,000	रु 50,000	रु 20,000
02 किलोवाट	रु 60,000	रु 90,000	रु 30,000
03 किलोवाट	रु 78,000	रु 1,10,000	रु 42,000

(साभार : प्रभात खबर, 16.10.2024)

शहर को गंदा करने वालों पर लगेगा 5000 तक का जुर्माना

स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 को ध्यान में रखकर पटना नगर निगम ने शहर को गंदा करने वालों को न सिर्फ चिन्हित करना शुरू किया है, बल्कि अब उनके खिलाफ अदालत भी लगायेगी। इस स्वच्छता अदालत में शहर को गंदा करने वाले नगर शत्रुओं के खिलाफ पटना नगर निगम द्वारा दंड भी लगाया जायेगा। पटना नगर निगम के अधिकारियों की मानें तो वह लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चला रही है। फिर भी कई जगहों पर ऐसा पाया जाता है कि लोगों (प्रतिष्ठान एवं संस्थान) द्वारा गंदगी फैलायी जाती है। ऐसे में निगम द्वारा अदालत लगाकर कार्रवाई की जायेगी।

सभी वार्डों के मोहल्लों में ही लगेगी स्वच्छता अदालत : पटना नगर निगम के सभी 75 वार्डों में यह अदालत लगायी जायेगी। वार्ड पार्षदों के सानिध्य एवं नगर निगम के कर्मियों की उपस्थिति में वार्ड अंदर गली मोहल्लों एवं सार्वजनिक स्थल में ही गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ अदालत बैठेगी। इस दौरान दोषी पाये जाने वाले नगर शत्रुओं के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।

(साभार : प्रभात खबर, 16.10.2024)

बिजली शिकायत निवारण के लिए शुरु की जायेगी ऑनलाइन ट्रैकिंग व्यवस्था

बिजली उपभोक्ताओं के बिजली संबंधित शिकायत निवारण के लिए बिजली कंपनी की तरफ से नयी व्यवस्था शुरू की जा रही है। उपभोक्ता बिजली की शिकायत अब मोबाइल पर मैनुअल के साथ ऑनलाइन भी कर सकेंगे, इसके लिए जल्द ही शिकायत ट्रैकिंग की व्यवस्था विकसित करने की योजना बनायी जा रही है।

राजधानी के 13 बिजली प्रमंडलों में 2024 तक करीब 90 प्रतिशत से अधिक स्मार्ट मीटर को इंस्टॉल कर दिया गया है, जो साल 2025 तक 100 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य तय किया गया है। इससे पूरे शहर में बिजली की व्यवस्था ऑनलाइन मोड में की जायेगी। अब बिजली उपभोक्ताओं को शिकायत लेकर बिजली केन्द्र या फ्यूज कॉल सेंटर पर आने की जरूरत नहीं।

(साभार : प्रभात खबर, 14.10.2024)

बिजली बिल में अब विलम्ब शुल्क अधिभार नहीं लगेगा

बीते कई वर्षों से लग रहे डीपीएस को हटाने की प्रक्रिया शुरू

बिजली बिल से विलम्ब शुल्क अधिभार (डीपीएस) हटेगा। बिजली कंपनी ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। कंपनी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग में एक याचिका दायर की है। आयोग का फैसला आते ही बिजली बिल से डीपीएस हट जाएगा। हालांकि, डीपीएस हटने का निर्णय केवल स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर ही लागू होगा।

कंपनी अधिकारियों के अनुसार पूर्व के वर्षों में विनियामक आयोग की ओर से दिए गए निर्णय के अनुसार उपभोक्ताओं से डेढ़ (1.50) फीसदी डीपीएस वसूली जाती है। यह राशि तब वसूली जाती है जब कोई बिजली उपभोक्ता कंपनी की ओर से निर्धारित तिथि तक बिजली बिल का भुगतन नहीं करते हैं। बिजली बिल जमा नहीं करने पर हर महीने यह राशि बढ़ते चली जाती है। चूँकि बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर में उपभोक्ता अग्रिम राशि जमा किया करते हैं। इसलिए तय समय पर बिल भुगतान का नियम अब महत्वहीन हो गया है।

एडवांस जमा पर कंपनी दे रही ब्याज : स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ता अगर एडवांस राशि दे रहे हैं तो उन्हें बैंक से अधिक ब्याज दिया जा रहा है। उपभोक्ताओं को अपने एकाउंट में न्यूनतम रकम 2000 रखना होगा। तीन महीने तक प्रतिदिन स्मार्ट प्रीपेड मीटर में न्यूनतम दो हजार रखने पर 6.75% ब्याज प्राप्त हो रहा है। तीन महीने से छह महीने तक लगातार दो हजार से अधिक बैलेंस रहने पर उपभोक्ताओं को ब्याज दर से 0.25% अतिरिक्त ब्याज दिया जा रहा है।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 9.10.2024)

उपभोक्ताओं को दिन में सस्ती शाम में महँगी बिजली मिलेगी

नवम्बर में विद्युत विनियामक आयोग को प्रस्ताव सौंपने की तैयारी

राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को दिन में सस्ती और शाम में महँगी बिजली मिलेगी। इसकी तैयारी बिजली कंपनी ने शुरू कर दी है। बिजली कंपनी मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक वर्तमान समय में औद्योगिक इकाईयों को टाइम ऑफ डे टैरिफ (टीओडी) की सुविधा मिल रही है। अब यह सुविधा राज्य

के घरेलू उपभोक्ताओं को देने पर विचार किया जा रहा है। नवम्बर में बिहार विद्युत विनियामक आयोग को दिए जाने वाली टैरिफ प्रस्ताव में इसको शामिल किया जा सकता है। आयोग की अनुमति मिलने के बाद नई व्यवस्था लागू होगी। इसका सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा। अधिकारियों के मुताबिक, यह उपभोक्ताओं के ऐच्छिक विकल्प के रूप में रह सकता है। जो उपभोक्ता इस मोड में आना चाहेंगे, उनको टीओडी का लाभ मिलेगा। जो उपभोक्ता रूफटॉप सोलर लगाकर अपने छत पर ग्रिड कनेक्टेड बिजली उत्पादन करते हैं, वैसे उपभोक्ताओं को नेट मीटरिंग से पोस्ट पेड की सुविधा मिलेगी।

राज्य में कितने उपभोक्ता : • 2.7 करोड़ • 50% ग्रामीण • 33% शहरी

• यह सुविधा उपभोक्ताओं को ऐच्छिक विकल्प के रूप में दी जाएगी • बिहार विद्युत विनियामक आयोग की अनुमति के बाद ही लागू होगी यह नई व्यवस्था।

जानिए.... क्या है टाइम ऑफ डे टैरिफ : • सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक – 20 प्रतिशत कम दर पर बिजली मिलेगी • शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक – 20 प्रतिशत ज्यादा दर पर बिजली मिलेगी • रात 11 बजे से सुबह 9 बजे तक – • सामान्य दर पर बिजली आपूर्ति होगी।

ऐसा क्यों : केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से सोलर पावर प्लांट लगाने की पहल है। इसकी बिजली सस्ती है। इस कारण उपभोक्ताओं को ग्रीन एनर्जी सस्ती उपलब्ध होगी। रात में थर्मल पावर प्लांट की बिजली मिलेगी। यह बिजली कोयला खपत होने के कारण महँगी है।

फयदा क्यों : दिन में जब सस्ती बिजली रहेगी तो उपभोक्ता अपना ज्यादातर काम करेंगे। अभी यह व्यवस्था व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए लागू है। आम उपभोक्ताओं के लिए भी लागू होगी तो उन्हें भी फायदा मिलना शुरू होगा।

स्मार्ट मीटर न बदलें : टीओडी टैरिफ लागू होने के बाद भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर को बदलने की जरूरत नहीं होगी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को सोलर प्लांट लगाने पर नेट मीटरिंग के रूप में उपभोक्ता उपयोग कर सकते हैं। फिर एवरेज बिजली बिल की समस्या समाप्त होगी। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 5.10.2024)**

पैसा खत्म होने पर भी सात दिनों तक नहीं कटेगी बिजली, इसी माह से सुविधा

बिजली कंपनी ने स्मार्ट प्री पेड बिजली मीटर उपभोक्ताओं को राहत देने का फैसला किया है। इसके तहत अब पैसा खत्म हो जाने के सात दिनों तक बिजली नहीं कटेगी। स्मार्ट मीटर के उपभोक्ता पैसा खत्म होने के सातवें दिन तक बिजली का उपभोग कर सकेंगे। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर हो रहे आंदोलन के बीच बिजली कंपनी ने उपभोक्तओं को यह सुविधा दी है। अभी मीटर का पैसा खत्म होने पर तीन दिनों तक बिजली गुल नहीं होती है। सात दिनों तक बिजली गुल नहीं होने की सुविधा उपभोक्ताओं को इसी महीने से मिल सकती है। कंपनी के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार स्मार्ट प्रीपेड मीटर का पैसा खत्म होने के बाद भी सात दिनों तक बिजली की सुविधा बहाल बनाये रखने के लिए कंपनी ने अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना शुरू कर दिया हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट होते ही फिर इसका ट्रायल होगा। इस पूरी प्रक्रिया में अधिकतम एक महीने का समय लग सकता है। कंपनी की कोशिश है कि इसी महीने से उपभोक्ताओं को यह सुविधा मिलने लगे।

शिकायत के लिए जल्द मिलेगी वाट्सएप व चैटबोर्ड की सुविधा : पटना के बिजली उपभोक्ता वाट्सएप व चैटबोर्ड के जरिये भी बिजली संबंधित समस्या की सूचना बिजली कंपनी के टॉल फ्री नंबर पर दे सकेंगे। इसके तहत पेसू जल्द ही अपनी टोल फ्री नंबर 1912 का विस्तार करेगी। पेसू के जीएम श्री राम सिंह ने बताया कि इससे उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज कराने में सुविधा होगी। **(साभार : प्रभात खबर, 5.10.2024)**

CNG-PNG पर वैट की दरों में कमी के मंत्रीपरिषद के निर्णय के आलोक में वाणिज्य-कर विभाग द्वारा जारी गजट अधिसूचना सं.- एस. ओ. 452 दिनांक 03 अक्टूबर 2024 की प्रति माननीय सदस्यों की सूचनार्थ उद्धृत है: -

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 आश्विन 1946 (श.)

(सं. पटना 963) पटना, वृहस्पतिवार, 3 अक्टूबर 2024

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

3 अक्टूबर 2024

एस. ओ. 452, दिनांक 3 अक्टूबर 2024-बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (समय पर यथा संशोधित) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस. ओ. 147 दिनांक 7 सितम्बर, 2017 में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं। यथा :-

उक्त अधिसूचना में, -

(I) क्रम सं. 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"3	प्राकृतिक गैस (क्र. सं. 3क एवं 3ख की प्रतिष्टियों को छोड़कर)	20.00	–"

(ii) क्रम सं 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या, प्रविष्टियों और स्पष्टीकरण को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"3क	प्राकृतिक गैस (सीएनजी तथा पीएनजी की घरेलू तथा वाणिज्यिक बिक्री)	12.50	सीजीडी नेटवर्क के माध्यम से प्राधिकृत सीजीडी इकाई द्वारा 50,000 एससीएमडी तक प्रति ग्राहक, प्रतिदिन की बिक्री के मामलों में।
3ख	प्राकृतिक गैस (माल (Goods) का विनिर्माण करने वाली औद्योगिक इकाईयों को इन्डस्ट्रियल कनेक्सन के माध्यम से PNG की बिक्री)	5.00	सीजीडी नेटवर्क के माध्यम से प्राधिकृत सीजीडी इकाई द्वारा 50,000 एससीएमडी तक प्रति ग्राहक, प्रतिदिन की बिक्री के मामलों में।

स्पष्टीकरण

(1) 'सीजीडी नेटवर्क' एवं 'प्राधिकृत सीजीडी इकाई' से अभिप्रेत है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड द्वारा परिभाषित 'सीजीडी नेटवर्क' एवं 'अधिकृत इकाई'।"

2. यह अधिसूचना निर्गमन तिथि के अगले दिन से प्रभावी होगी।

(सं. सं. बिक्री-कर/संशोधन-02/2020-4351)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार सिंह

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

बिहार में बंद हो गए 35 फीसदी कोल्ड स्टोरेज

भारी अनुदान पर भी कोल्ड स्टोरेज खोलने में लोगों की रुचि नहीं

राज्य में 35 प्रतिशत कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह) बंद हो चुके हैं। पहले राज्य भर में 303 कोल्ड स्टोरेज थे, इसमें 101 कोल्ड स्टोरेज बंद होने के बाद वर्तमान में 202 कोल्ड स्टोरेज ही बचे हुए हैं। इन 202 कोल्ड स्टोरेज की भंडारण क्षमता 12 लाख 30 हजार 176 टन है। वहीं, राज्य में 12 ऐसे जिले हैं, जहाँ एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं हैं। इन जिलों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए कृषि विभाग ने लागत मूल्य का 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान किया है। विभाग ने ऑनलाइन आवेदन मागा है। 12 जिले मधुबनी, नवादा, औरगाबाद, बांका, सहरसा, जमुई, मुंगेर, जहानाबाद, लखीसराय, शेखपुरा, अरवल और शिवहर में एक भी कोल्ड स्टेरेज नहीं है। इन जिलों में से सिर्फ शिवहर के लिए मात्र एक आवेदन मिला है। कोल्ड स्टोंरेज नहीं होने से लगभग 35 फीसदी सब्जी फल खराब हो जाते हैं। 5 हजार टन भंडारण क्षमता वाले कोल्ड स्टोंरेज निर्माण पर लागत मूल्य 4 करोड़ है। इसमें 50 फीसदी की दर से 2 करोड़ अनुदान मिलेगा। कृषि विभाग ने सिंगल बिंडो सिस्टम की व्यवस्था की है।

क्यों बंद हुए कोल्ड स्टोरेज : • लीची, आम सहित फल और सब्जी सीधे विदेश भेजने की बिहार से व्यवस्था नहीं • कोल्ड स्टोरेज में बिजली की अधिक खपत से बचत कम • कोल्ड स्टोरेज के लिए अलग बिजली फीडर नहीं होना • क्लस्टर में फल और सब्जी की खेती नहीं होने से स्टोर करने नहीं मिलता है • कोल्ड स्टोरेज के लाइसेंस के लिए उद्योग, ऊर्जा सहित कई विभागों का चक्कर लगाना • पुराने तकनीक के कारण भी बंद हुए हैं कोल्ड स्टोरेज • आलू सहित सब्जी और फल के अच्छे बीज की कम उपलब्धता से उत्पादन कम।

किस जिले में कितने कोल्ड स्टोरेज

जिला	संख्या	जिला	संख्या	जिला	संख्या
अररिया	1	कैमूर	1	रोहतास	2
बेगूसराय	19	कटिहार	5	समस्तीपुर	27
भागलपुर	5	खगड़िया	1	सारण	21
भोजपुर	2	किशनगज	1	सीतामढ़ी	1
बक्सर	1	मधेपुरा	2	सीवान	2
दरभंगा	3	मुजफ्फरपुर	10	सुपौल	2
पूर्वी चपारण	24	नालंदा	3	वैशाली	18
गया	6	पटना	11	पश्चिम चंपारण	5
गोपालगज	7	पूर्णिया	11		

(साभार : हिन्दुस्तान, 1.10.2024)

आयकर कानून में बदलाव की कवायद

आयकर विभाग ने छह दशक पुराने आयकर (आईटी) अधिनियम की समीक्षा के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए। आयकर कानून की भाषा को सरल बनाने, कानूनी विवाद और अनुपालन में कमी तथा पुराने पड़ चुके प्रावधानों को लेकर सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस संदर्भ में समीक्षा पर नजर रखने और अधिनियम को संक्षिप्त रूप देने, स्पष्ट और समझने में आसान बनाने के लिए आंतरिक समिति का गठन किया था। इससे विवादों के कम होने तथा करदाता कर को लेकर निश्चिंत हो सकेंगे। सीबीडीटी ने कहा, 'समिति ने चार श्रेणियों में सार्वजनिक टिपण्णियाँ और सुझाव आमंत्रित किए हैं। ये श्रेणियाँ है :- भाषा का सरलीकरण, कानूनी विवाद और अनुपालन में कमी तथा पुराने पड़ चुके प्रावधान।'

ई- फाइलिंग पोर्टल पर एक वेबपेज शुरू किया गया है। लोग मोबाइल नंबर दर्ज कर और ओटीपी के माध्यम से इस पर जा सकते हैं। वित्त मंत्री ने जुलाई में पेश 2024-25 के बजट में आईटी कानून की समीक्षा छह महीने में पूरी करने का प्रस्ताव किया था। छह महीने की समय सीमा जनवरी, 2025 में समाप्त हो रही है। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 8.10.2024)**

आयकर के उलझे मामलों का होगा सीधा निपटारा

पूरे देश के साथ बिहार में भी आयकर विभाग की 'विवाद से विश्वास' योजना-2024 को शुरुआत एक अक्टूबर से होने जा रही है। इस योजना के तहत आयकर के काफी समय से उलझे मामलों, आयकर कोर्ट या सामान्य कोर्ट में चल रहे मामले और बकाए टैक्स जैसी समस्याओं का सीधे तौर पर निपटारा होगा।

मामलों की प्रकृति के आधार पर इसमें बिना जुर्माना दिये भी छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ मामलों को छोड़कर आयकर से संबंधित सभी तरह के विवाद का निपटारा सीधे तौर पर होगा। यह योजना चार साल बाद फिर से लाई गई है। इससे पहले 2020 में यह योजना पहली बार लाई गई थी। उस समय बड़ी संख्या में लोगों ने इसका लाभ उठाया था। इस बार पिछली बार से अधिक लोगों को लाभ मिलने की संभावना है। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट के दौरान इस योजना को फिर से शुरू करने की घोषणा की थी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 1.10.2024)

डीमैट खाते और म्यूचुअल फंड में 10 लोग नॉमिनी बन सकेंगे

सेबी ने नियमों में किया बदलाव, पहले तीन लोगों की थी इजाजत

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड यानी सेबी ने डीमेट खातों और म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के नामांकन नियमों में बदलाव किया है।

30 सितम्बर को सेबी की बोर्ड मीटिंग में लिए गए फैसले के अनुसार इन दोनों में निवेशकों को 10 व्यक्तियों को नॉमिनी बनाने की अनुमति दी गई है। पहले इसमें यह संख्या तीन तक सीमित थी।

नए नियमों के तहत, कुछ सुरक्षा उपायों के साथ, नामांकित व्यक्तियों को अक्षम निवेशकों की ओर से फैसले लेने की अनुमति भी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, नामांकित व्यक्तियों को संपत्ति हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को भी दुरुस्त किया जाएगा, ताकि कम से कम कागजी कार्रवाई की जरूरत हो।

बाजार नियामक ने घोषणा की है कि वह संयुक्त खाताधारकों के लिए ट्रांसफर प्रक्रिया को भी सरल बनाएगा। नामांकित व्यक्यिों को पैन, पासपोर्ट नंबर या आधार जैसे दस्तावेज देने होंगे। जब कोई निवेश नामांकित व्यक्तियों को हस्तांतरित किया जाएगा, तो वे निवेशकों के कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए ट्रस्टी के रूप में कार्य करेंगे। म्यूचुअल फंड के फोलियो में नामांकित व्यक्ति का नाम जोड़ने या उसमें बदलाव करने के नियम अब आसान हो गए हैं। इसके लिए अब संयुक्त खाताधरकों के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं पड़ेगी।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 3.10.2024)

जीवन बीमा पॉलिसी लौटाने पर अधिक रकम मिल सकेगी

बीमा नियामक इरडा ने पॉलिसीधारकों को बड़ी राहत देते हुए जीवन बीमा के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब पॉलिसी को परिपक्वता अवधि से पहले बंद करने पर ग्राहक को ज्यादा रिफंड मिलेगा। इसके लिए विशेष सरेंडर वैल्यू के नियम एक अक्टूबर से लागू हो गए हैं। इसका सबसे अधिक फायदा उन लोगों को होगा, जो एक साल में ही पॉलिसी लौटा देते हैं। अब उनका पूरा पैसा डूबेगा नहीं। वहीं, गलत तरीके से बेची गई पॉलिसी को भी आसानी से लौटाया जा सकेगा। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 7.10.2024)**

नकद जमा का स्रोत नहीं बताया, तो लगेगा 60 प्रतिशत टैक्स

इनकम टैक्स विभाग ने नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं, जो करोड़ों बैंक खाताधारकों को प्रभावित करेंगे। इसके तहत बचत खातों में नकद जमा पर ध्यान केन्द्रित किया गया है और अघोषित आय पर अंकुश लगाने के लिए कड़े उपाय किये गये हैं। इस संबंध में वरीय चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश खेतान ने बताया कि नये दिशा-निर्देश के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी वित्तीय वर्ष में अपने बचत खाते में एक निश्चित सीमा से अधिक नकद जमा करता है, लेकिन उसके आय

का स्रोत बताने में विफल रहता है, तो उसे 60 फीसदी टैक्स देना पड़ सकता है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य बड़े और अस्पष्ट नकद लेन-देन को हतोत्साहित करना है।

बचत खाते में नकद जमा के लिए सालाना 10 लाख रुपये की सीमा तय : उन्होंने बताया कि इनकम टैक्स विभाग ने वित्तीय वर्ष के दौरान बचत खाते में नकद जमा करने के लिए 10 लाख रुपये की सीमा तय की है। इस सीमा से ज्यादा की कोई भी राशि जाँच के दायरे में आयेगी और खाताधारकों को धन के स्रोत के बारे में संतोषजनक स्पष्टीकरण देना होगा। ऐसा नहीं करने पर अतिरिक्त राशि पर 60 फीसदी कर लगाया जा सकता है।

2.50 लाख रुपये से अधिक जमा करने पर पैन देना होगा : खेतान ने बताया कि सिंगल नकद जमा की सीमा को भी संशोधित किया है। पहले खाताधारक बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज के 50 हजार रुपये तक नकद जमा कर सकते थे। हालांकि, अब यह सीमा बढ़ा कर 2.50 लाख रुपये कर दी गयी है। इस राशि से अधिक नकद जमा करने के लिए व्यक्तियों को अपना पैन देना आवश्यक होगा। राजेश खेतान ने बताया कि इन नये नियमों का बचत खाताधारकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। खाताधारकों को अपनी आय के स्रोतों का उचित रिकॉर्ड रखना और आयकर विभाग द्वारा मांगे जाने पर बड़े नकद जमाओं के लिए स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार रहना होगा।

(साभार : प्रभात खबर, 9.10.2024)

जीएसटी एमनेस्टी स्कीम एक नवम्बर से, ब्याज से मिलेगी छूट

केन्द्र सरकार ने जीएसटी एमनेस्टी स्कीम को अधिसूचित कर दिया है। ये स्कीम एक नवम्बर से खुल जायेगी। करदाता इस स्कीम के तहत सिर्फ बकाया कर चुका कर अपने पेंडिंग मामलों का निपटारा कर सकते हैं। जीएसटी एमनेस्टी स्कीम का लाभ वे सभी करदाता उठा सकेंगे, जिनके एक जुलाई 2017 से लेकर 31 मार्च 2020 तक के टैक्स के मामले लंबित पड़े हुए हैं। वरीय चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश खेतान ने बताया कि जिन टैक्सपेयर्स को धारा 74 में नोटिस दिया गया है, उन्हें इसका फायदा नहीं मिल सकेगा। इस स्कीम के तहत करदाता को केवल ब्याज और पेनाल्टी के अमाउंट में ही राहत मिलेगी। इसके अलावा सही टैक्स डिमांड की राशि का उन्हें भुगतान करना ही पड़ेगा।

जानकारों के अनुसार जीएसटी एमनेस्टी स्कीम के लिए सरकार ने फाइनेंस बिल में सेक्शन 128ए को शामिल किया था। इसके तहत सेक्शन 73 के तहत भेजे गये नोटिस या ऑर्डर के मामले में करदाता को केवल ब्याज और पेनल्टी से राहत देने का प्रावधान किया गया है। सरकार की ओर से दावा किया गया है कि जीएसटी एमनेस्टी स्कीम से काफी बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी। इसके साथ ही ट्रिब्यूनल्स और अदालतों में अपील के मामलों की संख्या में भी गिरावट आयेगी अब इस स्कीम के आने के बाद व्यावसायिक घराने सिर्फ बकाया कर चुका कर अपने पेंडिंग मामलों का निपटारा कर सकेंगे।

(साभार : प्रभात खबर, 14.10.2024)

दिसम्बर तक पूरा भुगतान करने पर ब्याज व जुर्माना होगा माफ

आयकर विभाग ने प्रत्यक्ष कर से संबंधित विवाद से विश्वास योजना 2024 के बारे में मार्गदर्शन जारी किया। इसके अनुसार यदि करदाता योजना का लाभ उठाने के लिए 31 दिसम्बर, 2024 से पहले घोषणा दाखिल करते हैं, तो उन्हें विवादित कर मांग का 100 प्रतिशत भुगतान करना होगा, लेकिन उनका ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जायेगा।

हालांकि ऐसे मामलों में जहाँ घोषणा एक जनवरी, 2025 को या उसके बाद की जाती है, विवादित कर मांग का 110 प्रतिशत करदाता को चुकाना होगा। आयकर विभाग ने कहा कि उसे इस योजना के एक अक्टूबर, 2024 को प्रभावी रूप से अधिसूचित होने के बाद विभिन्न प्रावधानों के संबंध में हितधारकों से कई सवाल मिले हैं। योजना की समाप्ति तिथि अभी अधिसूचित नहीं की गयी है।

(साभार : प्रभात खबर, 16.10.2024)

आपातकाल स्थिति में निम्नांकित सेवा का लाभ लिया जा सकता है-

PANCHMUKHI AIR & TRAIN AMBULANCE SERVICES PVT. LTD.
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001: 2008 Certified Company / ISO 9001: 2015 Certified Company

MOB . : 07763030333, 09955990333, 08809088765

Specialized in : • Air Ambulance / Charter Aircraft • Train Medical Escort Service • Ground Ambulance / ACLS, BLS• Nursing Care at Home

Patient Transfer by : • Specialized Doctors • Efficient Medical Team With Advanced Medical Equipments • Very Affordable Pricing

Transfer Patients from one city to another city in India and all over the world.

Corporate Office : First Floor, Uttaranchal Plaza, Vasundhra Sector- 3, Ghaziabad, NCR Delhi, Pin- 201012

Patna	Sharma Path, Bailey Road, Near Central Bank of India, Rukanpura, Patna, Bihar - 800014
Guwahati	Room No. 313, 3rd Floor, Dona Planet, ABC, G. S. Road, Guwahati- 781005
Kolkata	BA- 7 2nd Floor, Shanti Pally, Rajdanga Main Road, Near Acroplis Mall Pin Code- 700107
	E-mail : info@panchmukhiairambulance.com
	Website : www.panchmukhiairambulance.com

संपत्ति कर के लिए पंजीकरण नहीं कराने वालों को भरना होगा 100 प्रतिशत तक जुर्माना

राजधानी में 26 हजार फ्लैटों में रहने वालों को दिया गया था 31 सितम्बर तक का समय

नगर निगम ने ऐसे लोगों की पहचान कर ली है, जो वर्षों से अपार्टमेंट के फ्लैट में रह रहे हैं, लेकिन संपत्ति कर जमा नहीं कर रहे हैं। निगम प्रशासन द्वारा कराए गए सर्वे में 26 हजार ऐसे फ्लैट की पहचान गई है, जिनका अबतक किसी तरह से असेसमेंट नहीं किया गया है। यानी, इन फ्लैटों द्वारा संपत्ति कर और होल्डिंग टैक्स का निर्धारण नहीं किया गया है। इन सभी फ्लैटों में रहने वालों को निगम प्रशासन ने नोटिस भेज दिया है। उन्हें खुद से इसकी नापी करनी होगी और इसकी जानकारी निगम प्रशासन को देनी है। इसके बाद निगम प्रशासन संपत्ति कर का हिसाब लगाकर बकाया शुल्क की जानकारी दे देगा। इसके लिए लोगों को 31 सितम्बर तक का अवसर दिया गया था। जिन्होंने इस तिथि तक टैक्स जमा नहीं किया है, उन पर 100 प्रतिशत तक जुर्माना लगाकर वसूली की जाएगी।

असेसमेंट के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधा : नगर निगम की टीम द्वारा संपत्ति कर संग्रहण के साथ-साथ नई संपत्ति कर निर्धारण भी ऑन स्पॉट किया जा रहा है। संपत्ति के असेसमेंट के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन सुविधा है। नगर निगम के आधिकारिक पोर्टल https://www.pmc.bihar.gov.in के माध्यम से घर बैठे संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं। नगर निगम के पोर्टल पर उपलब्ध सेल्फ असेसमेंट फॉर्म भरकर शहरवासी स्वयं कर निर्धारण और पुनर्निर्धारण का कार्य कर सकते हैं। प्रतिदिन सुबह 10 से शाम 7 बजे तक नगर निगम मुख्यालय और अंचल कार्यालय में काउंटर पर आमजन अपने संपत्ति कर के असेसमेंट के लिए आवेदन दे सकते हैं। इसके अलावा निगम द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 155304 पर कॉल करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 14.10.2024)

GST में क्षतिपूर्ति उपकर को मिलाने की तैयारी

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की अनुवाई में जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर पर गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने जीएसटी में क्षतिपूर्ति उपकर को शमिल किए जाने पर चर्चा की। इस बैठक में राज्यों ने सुझाव दिया कि क्षतिपूर्ति उपकर को जीएसटी में शामिल किए जाने का फैसला होने के बाद बदलाव की अवधि में विलासिता वाले उत्पादों और नुकसानदेह वस्तुओं की सूची में कोई

नया सामान नहीं जोड़ा जाना चाहिए। राज्यों ने कहा कि क्षतिपूर्ति उपकर की समय सीमा मार्च, 2026 में खत्म हो रही है लिहाजा इसे पुनर्गठित करने का एकमात्र तरीका यह है कि करों के साथ इस शुल्क को मिला दिया जाए और जिन वस्तुओं पर फिलहाल यह उपकर लगाया जाता है उनके लिए अलग कर दरें लाई जाएँ।

जीओएम के प्रमुख चौधरी ने कहा, 'जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का समय खत्म हो रहा है। उपकर का भविष्य क्या होगा, इस पर चर्चा करने की जरूरत है। हर राज्य ने अपने विचार दिए हैं। यह इस समूह की पहली बैठक थी।' चौधरी ने कहा कि चर्चा इस पर हो रही है कि इसे उपकर के रूप में जारी रखा जाना चाहिए या कर में बदल दिया जाना चाहिए। इसके अलावा विलासिता वाले उत्पादों और नुकसानदेह वस्तुओं में बदलाव की संभावना पर भी चर्चा चल रही है। क्षतिपूर्ति उपकर संबंधी मंत्री समूह की अगली बैठक नवम्बर के दूसरे सप्ताह में होगी।

सभी राज्यों ने जीएसटी के तहत करों को मिलाने का सुझाव दिया है, क्योंकि क्षतिपूर्ति उपकर समाप्त हो रहा है। सूत्रों ने कहा, 'लेकिन कोई नया सामान इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। क्षतिपूर्ति की अवधि समाप्त हो चुकी है और अगर इसे जीएसटी के तहत लाना है तो इसे पुनर्गठित करना होगा और कर के रूप में लाना होगा।' असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के सदस्यों वाला मंत्री समूह (जीओएम) 31 दिसम्बर तक रिपोर्ट सौंप देगा। जीएसटी व्यवस्था के तहत विलासिता वाले और नुकसानदेह या अहितकर उत्पादों पर 28 प्रतिशत कर के अलावा विभिन्न दरों पर क्षतिपूर्ति उपकर लगाया जाता है।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 17.10.2024)

NO CHANGES IN OCI RULES

कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया

भारत में दोहरी सिटीजनशिप नहीं है। इसके बदले सरकार ने प्रवासी भारतीयों के लिए दूसरी स्कीम निकाली। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) के तहत विदेशों में बसे इंडियंस को कई तरह की छूट मिलती है। लेकिन पिछले कुछ समय से एक चर्चा थी कि माइग्रेंट्स को सरकार अब विदेशी की केटेगरी में रखेगी। इसपर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने साफ कर दिया कि ओसीआई रूल्स में बदलाव की कोई बात नहीं हुई है और प्रवासी भारतीय देश से उसी तरह जुड़े रह सकेंगे। बता दें कि 31 जनवरी, 2022 तक 40.68 लाख ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड होल्डर्स थे।

ओसीआई कार्ड होल्डर : एनआरआई भारत के वो नागरिक हैं, जो किसी दूसरे देश में रहते हैं, लेकिन नागारिकता जिनके पास भारतीय हो। वे वोट भी कर सकते हैं और खेती-बाड़ी के लिए जमीन भी खरीद सकते हैं। वहीं ओसीआई कार्ड होल्डर होते तो भारतीय मूल के है, लेकिन वे किसी और देश में स्थाई तौर पर बस चुके होते हैं। हालांकि भारत के साथ वे पुराना रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं।

ओसीआई कार्ड होल्डर पर लगे ये रेस्ट्रिक्शन : 1. ये लोग इलेक्शन में न तो वोट दे सकते है, और न ही चुनाव में दावेदारी कर सकते हैं 2. वे किसी संवैधानिक पद के लिए नही चुने जा सकते। ओसीआई कार्ड होल्डर किसी सरकारी पद पर नहीं आ सकता है 3. खेती के लिए जमीन नहीं ले सकते। न ही संवेदनशील इलाकों में प्रॉपर्टी बना सकते हैं। लेकिन बाकी कामों के लिए प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं।

इस कार्ड के तीन कायदे : 1. इन्हें भारत आने का वीजा मिलता है। जो हमेशा वैध रहता है। इससे वे बार-बार बिना किसी बड़ी फॉर्मलिटिज के यहाँ आ सकते हैं 2. सरकार अगर इजाजत दे तो औसीआई ले चुके लोग देश में रिसर्च व जर्नलिज्म जैसे काम भी कर सकते हैं 3. ऐतिहासिक जगहों को घूमने के लिए फॉरेन सिटीजन की एंट्री फीस ज्यादा होती है। लेकिन ओसीआई कार्ड होल्डर्स से कम चार्ज लिया जाता है।

(विस्तृत : आइनेक्स्ट, 3.10.2024)

IT BOON AS GOVT SIGNS PACT WITH NASSCOM

Bihar's department of information technology (DoIT) on 07.10.2024 signed a memorandum of understanding (MoU) with NAS-SCOM, India's premier trade association for the IT and BPM industry, under the provisions of the Bihar IT Policy 2024, approved in January this year. As per the MoU, NASSCOM will support the Bihar govt in developing the state as a preferred destination for IT investment and job creation in eastern India as well as establishing Bihar as a leading state in the IT and electronic system design & manufacturing (ESDM) sectors. NASSCOM will work with DoIT to identify major Investors in the IT sector and encourage them to invest in the state.

"The MoU aims to promote Bihar's IT policy and investment opportunities in the country's major IT hubs. With the support of NASSCOM, Bihar govt will plan and organise roadshows in Bengaluru, Chennai, Mumbai, Hyderabad and Pune. These roadshows will facilitate in linking Bihar govt officials with potential investors and technology companies, increasing the potential for investment in the state. "an IT official said."

Major cos investing under Bihar IT Policy 2024 : Min

"This partnership will enable Bihar to participate in NASSCOM's national programmes, allowing the DoIT to showcase the emerging IT activities in the state. Through these programmes, Bihar's progress in IT infrastructure, skill development and policies can be presented to national and international level entrepreneurs and investors," the official added.

Speaking on the occasion, state IT minister Santosh Kumar Suman described the Bihar IT Policy 2024 as visionary and expressed happiness about its implementation progress. "Under this policy investments are being made by major companies in the IT/ITeS and ESDM sectors. Some leading companies have registered with the department to develop advanced IT infrastructure in the state with an investment of approximately Rs 450 crore and over 10 IT companies have shown interest in investing in the state," he said.

(Source : T. O. I., 8.10.2024)

आभूषण बनाने से पहले सोने की हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी

जनवरी 2025 से आयातित स्वर्ण धातु और गोल्ड बुलियन पर लागू होगा नया नियम

केन्द्र सरकार नए साल से आभूषणों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले सोना सर्राफा (गोल्ड बुलियन) पर भी हॉलमार्किंग अनिवार्य करने जा रही है। इसे चरणबद्ध तरीके से देशभर में लागू किया जाएगा। इस मामले से जुड़े सभी हितधारकों ने इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। गौरतलब है कि गोल्ड बुलियन का इस्तेमाल आभूषण निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। अभी इस पर हॉलमार्किंग जरूरी नहीं है। ग्राहकों की लंबे समय से मांग रही है कि स्वर्ण आभूषण की गुणवत्ता तभी सुनिश्चित की जा सकती है, जब बुलियन को हॉलमार्क किया जाए। इसको लेकर काफी समय से परामर्श प्रक्रिया चल रही थी। गोल्ड बुलियन हॉलमार्किंग अनिवार्य होने के बाद रिफाइनर्स को आयातित सोने की गुणवत्ता पता चल पाएगी।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 16.10.2024)

EDITORIAL BOARD

Editor
PASHUPATI NATH PANDEY
Secretary General

Chairman
ASHISH SHANKAR
Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-2677605, 2677505, 2677635
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296